कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

–:विविध–आदेश:–

क्रमांक.....22...../ रीवा, दिनांक 04/02/2025
दो–1–1/2000

मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री आर्शीवाद भिलाल को द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा, श्री सुधीर सिंह राठौड को, 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं श्री यशपाल सिंह को 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के पद पर पदस्थापित किया गया है।

अतः उक्त न्यायाधीशगण की नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–8 उपधारा–7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–336/दो–1–1/2000 दिनांक–30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगाः–

1. सरल क्रमांक–1 के स्तम्भ क्रमांक–2 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा एवं स्तम्भ क्रमांक–03 के सिविल खण्ड में तथा स्तम्भ क्रमांक–4 की कंडिका क्रमांक–8 एवं 11 को निम्नानुसार विलोपित किया जाता हैः–

8– प्रथम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के दिनांक–06.08.2014 के पूर्व के निष्पादन व समस्त विविध कार्यवाहियां।

11– थाना गोविन्दगढ़ एवं समान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन–पत्र।

2. सरल क्रमांक–10 के स्तम्भ क्रमांक–2 में अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं स्तम्भ क्रमांक–03 के सिविल खण्ड में तथा स्तम्भ क्रमांक–4 की कंडिका क्रमांक–02 को निम्नानुसार विलोपित किया जाता हैः–

2– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।

3. सरल क्रमांक–11 के स्तम्भ क्रमांक–2 में नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं स्तम्भ क्रमांक–03 के सिविल खण्ड में तथा स्तम्भ क्रमांक–4 की कंडिका क्रमांक–3 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार आंशिक संसोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

3– थाना विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन–पत्र।

4. सरल कमांक–16 के स्तम्भ कमांक–2 में 14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं स्तम्भ कमांक–03 के सिविल खण्ड में तथा स्तम्भ कमांक–4 की कंडिका कमांक–2 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार आंशिक संसोधन समाविष्ट किया जाता है:–

2– थाना रायपुर कर्चुलियान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन–पत्र।

5. सरल कमांक–4 के स्तम्भ कमांक–2 में लिखी इबारत ''श्री विक्रम सिंह, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा'' को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर श्री आर्शीवाद भिलाला, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का नाम अंकित किया जाता है।

6. सरल कमांक–17 के स्तम्भ कमांक–2 में 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा में लिखी इबारत ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए एवं सरल कमांक–17 के पश्चात् 17–अ निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:–

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
17.	श्री सुधीर सिंह राठौड़, 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 2– थाना सिविल लाइन एवं समान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन–पत्र। 3– प्रथम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के दिनांक–06.08.2014 के पूर्व के निष्पादन व समस्त विविध कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन–पत्र।
17–अ	श्री यशपाल सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 2– थाना गोविन्दगढ़ एवं अमहिया की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन–पत्र।

			3– भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन–पत्र।

7. परिशिष्ट–अ की कंडिका 16 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावेः–

क.	**न्यायालय का नाम**	**अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें**
16.	14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
17.	15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
17–अ	16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0 577 / दो–1–1 / 2000 — रीवा, दिनांक 04/02 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउंगज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)